



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022022-233754
CG-DL-E-25022022-233754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 829]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 25, 2022/फाल्गुन 6, 1943

No. 829]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 25, 2022/PHALGUNA 6, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2022

का.आ. 859(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 अप्रैल, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

क्र. सं.	धाराएं
1.	धारा 50 ;
2.	धारा 51 ;
3.	धारा 52 ;
4.	धारा 53 ;
5.	धारा 54 ;
6.	धारा 55 ;
7.	धारा 56 ;
8.	धारा 57 ; और
9.	धारा 93 ।

[फा. सं. आरटी-11036/64/2019-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2022

S.O. 859(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2022 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely: —

Sl. No.	Sections
1.	Section 50;
2.	Section 51;
3.	Section 52;
4.	Section 53;
5.	Section 54;
6.	Section 55;
7.	Section 56;
8.	Section 57; and
9.	Section 93.

[F. No. RT-11036/64/2019-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.